42

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
- - -
ज्ञा प न

डी0 क्रमांक 174 /278/एक(तीन)/74 भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषयः- शासकीय सेवकों व्दारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेश का पालन करना ।

=*=

राज्य सतर्कता आयोग व्दारा शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों व्दारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अनुसार अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग व्दारा दिनांक 27 अगस्त 1960 के ज्ञापन क्रमांक 1933-1505-एक(3)/60 में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है ।

2/ इस संबंध में शासन पुनः सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकृष्ट करता है तथा अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा । किसी शासकीय सेवक व्दारा समय पर अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा ।

3/ आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को इस आदेश से अवगत करा दें ।

(शान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग